झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 7295/2023

.....

डॉ. पाशुपति नाथ प्रियदर्शी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- श्री सुरेश पासवान, आईअमओ ग्रेड-1, ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर, निवासी क्वार्टर संख्या 2201, सेक्टर-IV/A, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, डाकघर और थाना : सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, जिला: बोकारो, वर्तमान निवासी में डाकघर और थाना : आदित्यपुर, जिला: सरायकेला-खरसावां (झारखंड)

याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
2. अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
4. वित्तीय आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
5. उप निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
6. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, आदित्यपुर, डाकघर और थाना: आदित्यपुर, जिला: सरायकेला-खरसावां (झारखंड) ।
7. सहायक निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

उत्तरदाता

साथ में

रिट याचिका (एस) संख्या 7303/2023

.....

डॉ. अनिता कुमारी, उम्र लगभग 43 वर्ष, पत्नी- डॉ. मनोज कुमार पासवान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ईएसआईसी अस्पताल, नमकुम, रांची, निवासी कजरी, डालटनगंज, नवधिया, डाकघर और थाना : डालटनगंज, जिला: पलामू ।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
2. अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
4. वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

5. उप निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

6. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, रांची, डाकघर और थाना : रांची, जिला: रांची ।

7. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नमकुम, डाकघर और थाना : नमकुम, जिला: रांची (झारखंड) ।

8. सहायक निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

9. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

... ... प्रत्युत्तरदाता

साथ में

रिट याचिका (एस) संख्या 7343/2023

.....

डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता- श्री कामेश्वर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर, निवासी क्यू. नंबर 219/2/3, रोड नंबर 14, राम मंदिर के पास, आदित्यपुर, डाकघर और थाना : आदित्यपुर, जिला: सरायकेला-खरसावां (झारखंड) ।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
2. अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

4. वित्त आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

5. उप निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

6. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, रांची, डाकघर और थाना : रांची, जिला: रांची ।

7. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, आदित्यपुर, डाकघर और थाना : आदित्यपुर, जिला: सरायकेला-खरसावां (झारखंड) ।

8. सहायक निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना : एवं जिला: नई दिल्ली ।

9. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, डाकघर और थाना एवं जिला: नई दिल्ली ।

... ... प्रत्युत्तरदाता

.....

कोरम :माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

.....

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 1-भारत संघ की ओर से : श्रीमती बख्शी विभा, वरिष्ठ पी.सी

उत्तरदाता संख्या 2 से 5-ईएसआईसी की ओर से: श्री अशुतोष आनंद, अधिवक्ता

श्री इंदु परास्कर, अधिवक्ता

.....

आदेश संख्या 04 : दिनांक 17 जनवरी, 2024

न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद द्वारा:

1. चूंकि इन तीनों रिट याचिकाओं में समान मुद्दे शामिल हैं, इसलिए पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से इन सभी याचिकाओं को एक साथ निपटारे के लिए लिया गया है ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7295/2023 में प्रार्थना:</u>

2. यह रिट याचिका दिनांक 23.11.2023 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना द्वारा ओ.ए. संख्या 885/2023 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 20.05.2023 के उत्तरदाता-ईएसआईसी के आदेश को स्थगन देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर से डीसीबीओ, डालटनगंज स्थानांतरित किया गया था ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7303/2023 में प्रार्थना:</u>

3. यह रिट याचिका दिनांक 23.11.2023 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना द्वारा ओ.ए. संख्या 883/2023 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 20.05.2023 के उत्तरदाता-ईएसआईसी के आदेश को स्थगन देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, रांची से ईएसआईसी अस्पताल, राउरकेला स्थानांतरित किया गया था ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7343/2023 में प्रार्थना:</u>

4. यह रिट याचिका दिनांक 23.11.2023 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना द्वारा ओ.ए. संख्या 884/2023 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की

गई है, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 20.05.2023 के ईएसआईसी के आदेश पर अंतरिम स्थगन देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर से ईएसआईसी अस्पताल, रांची स्थानांतरित किया गया था ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7295/2023 में मामले के संक्षिप्त तथ्य:</u>

5. याचिकाकर्ता डॉ. पाशुपति नाथ प्रियदर्शी ने 10.11.2016 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर, ग्रेड-2 के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर में आइअमओ ग्रेड-1 के रूप में कार्यरत हैं।

6. उत्तरदाता-कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 20.06.2022 को "ईएसआई निगम में चिकित्सकों के लिए स्थानांतरण/पोस्टिंग नीति" विषय पर एक स्थानांतरण/पोस्टिंग नीति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ईएसआईसी कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार वार्षिक स्थानांतरण के लिए पांच विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसलिए, आवेदक ने ईएसआईसी आदित्यपुर, आर.ओ. रांची, डीसीबीओ घाटशिला, डीसीबीओ हजारीबाग और ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, रांची को प्राथमिकता के अनुसार अपने विकल्प के रूप में उल्लेख किया। लेकिन उन्हें 20.05.2023 के स्थानांतरण आदेश द्वारा उनकी पसंद के

पांच स्टेशनों के बाहर, यानी ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर पर अधिकतम नौ वर्षों की अवधि पूरी करने के नीति निर्णय का उल्लंघन करते हुए, डीसीबीओ, डालटनगंज में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रभावित होकर, उन्होंने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुति दी और साथ ही ओ.ए. संख्या 472/2023 फाइल करके अधिकरण का दरवाजा खटखटाया। मूल आवेदन को 21.09.2023 को निपटारा किया गया और उत्तरदाता-प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि आवेदक की प्रस्तुति पर निर्णय लेने तक स्थानांतरण आदेश को रोक रखा जाए। हालांकि, आवेदक की प्रस्तुति को 11.10.2023 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

7. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने ओ.ए. संख्या 885/2023 दायर किया, जिसे दिनांक 23.11.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी-ईएसआईसी के दिनांक 20.05.2023 के आदेश के संबंध में अंतरिम स्थगन देने से इनकार कर दिया गया, जिसके द्वारा आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर से डीसीवीओ, डाल्टनगंज स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए, तत्काल रिट याचिका ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7303/2023 में मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

8. याचिकाकर्ता डॉ. अनीता कुमारी ने 30.03.2012 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में बीमा चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर, झारखंड में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में ईएसआईसी अस्पताल, नामकुम, रांची में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के रूप में तैनात हैं ।

9. प्रतिवादी-ईएसआईसी 20.06.2022 को एक स्थानांतरण/पोस्टिंग नीति लेकर आया, जिसके अनुसार ईएसआईसी कर्मचारियों को वार्षिक स्थानांतरण के लिए पाँच विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, आवेदक ने ईएसआईसी मॉडल अस्पताल का उल्लेख किया, नामकुम, रांची आर.ओ. रांची, डीसीबीओ, हज़ारीबाग़, ईएसआईसी अस्पताल आदित्यपुर और ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, राउरकेला ।

10. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति रिम्स रांची में पैथोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन आवेदक-याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-ईएसआईसी द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का उल्लंघन करते हुए ईएसआईसीएच, रांची से ईएसआईसीएच, राउरकेला में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करके और साथ ही ओ.ए. संख्या 473/2023 दायर करके न्यायाधिकरण से संपर्क करके अपनी शिकायत

उठाई। मूल आवेदन का निपटारा 21.09.2023 के आदेश के तहत किया गया था, जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकारियों को आवेदक के अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आवेदक के अभ्यावेदन को 11.10.2023 के आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक पिछले बारह वर्षों से ईएसआईसी अस्पताल, रांची में तैनात था ।

11. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने ओ.ए. संख्या 883/2023 दायर किया, जिसे दिनांक 23.11.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी-ईएसआईसी के दिनांक 20.05.2023 के आदेश के संबंध में अंतरिम स्थगन देने से इनकार कर दिया गया, जिसके द्वारा आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, रांची से ईएसआईसी, राउरकेला में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए तत्काल रिट याचिका ।

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 7343/2023 में मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

12. याचिकाकर्ता डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह ने 12.02.2010 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में बीमा चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर, झारखंड में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में

ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के रूप में तैनात हैं ।

13. प्रतिवादी-ईएसआईसी 20.06.2022 को एक स्थानांतरण/पोस्टिंग नीति लेकर आया, जिसके अनुसार ईएसआईसी कर्मचारियों को वार्षिक स्थानांतरण के लिए पाँच विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, आवेदक ने ईएसआईसीएच आदित्यपुर, डीसीबीओ-घाटशिला ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, नामकुम, रांची आरओ रांची, डीसीबीओ, हजारीबाग का उल्लेख किया ।

14. अपीलकर्ता की पत्नी, अर्थात, डॉ. स्वेता कुमारी, जमशेदपुर के तारुमडीह में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्पताल में उप प्रबंधक (चिकित्सा सेवाएं) के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर को पहली पसंद चुना था लेकिन उन्हें ईएसआईसी, रांची में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

15. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करके तथा ओ.ए. संख्या 471/2023 दाखिल करके न्यायाधिकरण से संपर्क करके शिकायत दर्ज कराई, जिसका 21.09.2023 को निपटारा कर दिया गया तथा प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखा जाए। हालांकि, आवेदक के अभ्यावेदन को दिनांक

11.10.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इस आधार पर कि आवेदक पिछले बारह वर्षों से ईएसआईसी अस्पताल, रांची में तैनात था ।

16. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने ओ.ए. संख्या 884/2023 दायर किया, जिसे 23.11.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी-ईएसआईसी के दिनांक 20.05.2023 के आदेश के संबंध में अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, जिसके द्वारा आवेदक को ईएसआईसी अस्पताल, आदित्यपुर से ईएसआईसी, रांची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, आवेदक ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है ।

<u>याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्क:</u>

17. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री महेश तिवारी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाते हुए, रिट याचिका (एस) संख्या 7303/2023 और रिट याचिका (एस) संख्या 7343/2023 में एक अलग आधार के साथ दिशानिर्देश के प्रावधान के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से पोस्टिंग के बारे में दलील दी है, जिसमें प्रावधान है कि पत्नी को उसी स्थान पर तैनात किया जाना है जहां पति तैनात है:

I. प्रतिवादी-कर्मचारी राज्य बीमा ने एक दिशानिर्देश/नीतिगत निर्णय/स्थानांतरण की नीति तैयार की है जिसके अनुसार 'वार्षिक

सामान्य स्थानांतरण' का प्रारंभिक कार्य प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से शुरू किया जाना है और इसे चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाना है ताकि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक अंतिम आदेश आ सके। इस मामले में उपरोक्त नीतिगत निर्णय के संदर्भ में कोई अभ्यास नहीं किया गया है। तथा स्थानांतरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही का पालन किए बिना ही अचानक दिनांक 20.05.2023 को स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त नीतिगत निर्णय के विपरीत जारी स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

II. उक्त नीतिगत निर्णय में पांच स्टेशनों का विकल्प देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता, जो ईएसआईसी, आदित्यपुर में पदस्थ था, ने डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 7295/2023 में उक्त नीतिगत निर्णय के तहत अपनी पसंद के पांच स्टेशनों का विकल्प दिया था, लेकिन समिति ने उसके द्वारा चुने गए विकल्प पर विचार नहीं किया और नियम के विपरीत याचिकाकर्ता को डीसीबीओ, डाल्टनगंज स्थानांतरित कर दिया ।

III. रिट याचिका (एस) संख्या 7295/2023 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि स्थानांतरण आदेश भी डीओपीटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है क्योंकि आवेदक-रिट याचिकाकर्ता ने परिपत्र दिनांक 27.12.2022 के

पैरा 5 के अनुसार नौ वर्षों का विस्तारित कार्यकाल [6 वर्ष प्लस 3 वर्ष का विस्तार) पूरा नहीं किया है। लेकिन यहां प्रतिवादियों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है-ईएसआईसी ने रिट याचिका (एस) संख्या 7295/2023 के याचिकाकर्ता को कुल नौ वर्षों की विस्तारित अवधि के लिए काम करने की अनुमति दी है, भले ही उन्होंने संबंधित प्राधिकारी को पूरी संतुष्टि के साथ सेवाएं दी हों और ऐसे नीतिगत निर्णय के अधिदेश के विपरीत उन्हें उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो उनके द्वारा चुने गए विकल्प में भी नहीं दिया गया था ।

IV. यह तर्क उठाया गया है कि एक बार स्थानांतरण के लिए लिए जाने वाले निर्णय को नियंत्रित करने वाला नीतिगत निर्णय तैयार कर लिया गया है तो प्रतिवादी-प्राधिकरण का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह उसमें निहित शर्तों का सख्ती से पालन करे, लेकिन यह स्पष्ट है, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा क्रमशः ओ.ए. संख्या 472/2023, ओ.ए. संख्या 473/2023 और ओ.ए. संख्या 471/2023 में पहले पारित आदेश के संदर्भ में समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करके उठाई गई आपत्ति से स्पष्ट होगा, लेकिन उक्त समिति द्वारा उपरोक्त तथ्य पर कोई विचार नहीं किया

गया है, इसलिए समिति द्वारा पारित आदेश रहस्यमय है और उसके समक्ष उठाए गए भौतिक तथ्य पर विचार किए बिना है ।

v. रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका (एस) संख्या 7303 ऑफ 2023 और रिट याचिका (एस) संख्या 7343 ऑफ 2023 में पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग का मुद्दा इस आधार पर उठाया है कि डीओपीटी के परिपत्र दिनांक 30.09.2009 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पति और पत्नी को एक साथ पोस्ट किया जाना है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका (एस) संख्या 7303 ऑफ 2023 में याचिकाकर्ता के पति एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। रिम्स, रांची के पैथोलॉजी विभाग में और ऐसे मामलों में जिनमें पति या पत्नी में से एक राज्य सरकार का कर्मचारी है और दूसरा केंद्र सरकार का कर्मचारी है, कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि 'केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पति या पत्नी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिकारी को उस राज्य में तैनात कर सकते हैं यदि उस स्टेशन में कोई पद नहीं है जहां दूसरा पति या पत्नी तैनात है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी-ईएसआईसी ने चूंकि उक्त डीओपीटी दिशानिर्देशों को अपना लिया है, चूंकि आवेदक-याचिकाकर्ता

रिम्स, रांची में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका पद हस्तांतरणीय नहीं है, इसलिए प्रतिवादी-ईएसआईसी को याचिकाकर्ता की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को रांची या कम से कम झारखंड के क्षेत्र में तैनात करना चाहिए था, लेकिन उन्हें दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया ।

VI. इसी तरह, रिट याचिका (एस) संख्या 7343/2023 में याचिकाकर्ता की पत्नी, जमशेदपुर के तरुमडीह में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्पताल में उप प्रबंधक (चिकित्सा सेवाएं) के रूप में काम कर रही है, जो गैर-हस्तांतरणीय है लेकिन नियमों का उल्लंघन है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता को आदित्यपुर या जमशेदपुर के निकट पदस्थापित किया जाना था, लेकिन इस नीति का घोर उल्लंघन करते हुए उसका स्थानांतरण रांची कर दिया गया ।

VII. यह भी कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ता डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 7303/2023 के समक्ष व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं, अर्थात उसके तीन बच्चे हैं और छोटा बच्चा तीन वर्ष का है, लेकिन इस पर भी कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है ।

VIII. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री महेश तिवारी ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **बैंक ऑफ इंडिया बनाम जगजीत सिंह मेहता [(1992) 1 एससीसी 306] और एस.के. नौसाद रहमान एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [(2022) 12 एससीसी 1]** के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है ।

IX. यह तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण को स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर अंतरिम आवेदनों पर विचार करते समय मामले के इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, लेकिन इसे देने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।

18. इसके विपरीत, प्रतिवादी-ईएसआईसी के विद्वान वकील श्री आशुतोष आनंद ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है:

I. यह तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए कोई गलती नहीं की है, क्योंकि तीनों रिट याचिकाओं में मुख्य प्रार्थना स्थानांतरण के आदेश को रद्द करने के लिए है और इसलिए यदि इस स्तर पर स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगा दी जाती

है तो यह बचाव का अवसर दिए बिना और लिखित बयान दाखिल किए बिना ही अंतरिम स्तर पर पूरी याचिका को अनुमति देने के समान होगा ।

II. रिट याचिकाकर्ता नीतिगत निर्णय के आधार पर स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उक्त नीतिगत निर्णय को अनिवार्य प्रकृति का नहीं कहा जा सकता ।

III. तथापि, उनका यह कहना उचित है कि चूंकि विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी-ईएसआईसी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा है, इसलिए इसे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए मुद्दों/आधारों के निर्णय के लिए दायर किया जाएगा ।

IV. उन्होंने आगे दलील दी है कि चूंकि ये रिट याचिकाएं विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं और इसलिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क का खंडन करके उनका बचाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर स्थानांतरण की मांग की कि स्थानांतरण सेवा का एक हिस्सा है और इस प्रकार किसी भी कर्मचारी को वर्षों तक एक ही स्थान पर तैनात रहने का अधिकार नहीं है ।

19. विद्वान न्यायाधिकरण ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले पर अन्तिम निर्णय के लिए अन्तरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसके लिए प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

20. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विवादित आदेशों और परिपत्र/नीति निर्णय का अवलोकन किया है, जिस पर पक्षों ने भरोसा किया है, साथ ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय का भी अवलोकन किया है ।

21. इस न्यायालय को यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है कि विवादित आदेश की वैधता और औचित्य का आकलन किया जा सके कि क्या उक्त आदेश में रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसके लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने स्थानांतरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया है ।

22. यह न्यायालय इस मुद्दे के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि मुख्य मुद्दा विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर निर्धारित तिथि के

अनुसार निर्णय लिया जाना है, क्योंकि प्रतिवादी प्रतिवादी-ईएसआईसी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा गया है। यदि इस स्तर पर यह न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय करना विद्वान न्यायाधिकरण की शक्ति का अतिक्रमण होगा जो कि प्रथम दृष्टया न्यायालय है जहां तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों या केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम, 1985 की धारा 14 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार संबंधित भर्ती का संबंध है और साथ ही **एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर (1997) 3 एससीसी 261** में रिपोर्ट किया गया है। इसलिए, हम इस मुद्दे पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं कर रहे हैं जैसा कि ऊपर संदर्भित याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री महेश तिवारी ने बताया है, बल्कि हम उक्त आदेश की औचित्य पर विचार कर रहे हैं ।

23. यह न्यायालय उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने से पहले अंतरिम स्थगन पारित करने में क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **देवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [(2004) 4 के मामले में एस.सी.सी. 697]** के पैराग्राफ 10 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:

"10. सामान्यतः, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम प्रकृति के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह अनुभव द्वारा विकसित विवेक का नियम है, क्योंकि सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के अंतरिम चरण में इस न्यायालय द्वारा दिखायी गयी सहूलियत के परिणामस्वरूप कार्यवाही की पुनरावृत्ति होती है; जबकि मुख्य मामले की सुनवाई अभी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा की जानी है, जो सुनवाई के लिए सक्षम है, इस न्यायालय का बहुमूल्य समय और ऊर्जा एक विवाद पर निर्णय देने में खर्च होती है, जिसका जीवन मुख्य मामले के जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा, जो कि मुख्य मामले का मामला है। न्यायालय के समक्ष ऐसा नहीं किया जा सकता तथा दलीलों और दस्तावेजों की नकल की जा सकती है, जिन्हें आवश्यक रूप से इस न्यायालय के अभिलेख में भी रखा जाना चाहिए। हालांकि, व्यवहार में विवेक का यह नियम केवल आत्म-लगाए गए अनुशासन के माध्यम से है ।"

24. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बम्बई डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप [(2005) 5 एससीसी 61],** पैराग्राफ 24 अंतर्गत इस प्रकार माना गया है:

> *"**24.** तथापि, न्यायालयों को दो चरम स्थितियों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात, एक ओर यदि अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया जाता है तो क्या रिट याचिका स्वयं निष्फल हो जाएगी, तथा दूसरी ओर यदि अंतरिम आदेश दिया जाता है तो दूसरों को भारी नुकसान और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी स्थिति में, प्रभावित पक्षों को होने वाले नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो सकती है ।"*

25. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम. गुरुदास एवं अन्य बनाम रसरंजन एवं अन्य ((2006) 8 एससीसी 367)** के मामले में, अनुच्छेद 19 और 20 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया:

> *"**19.** "प्रथम दृष्टया मामला" पर निष्कर्ष तथ्य का निष्कर्ष होगा। हालांकि, तथ्य के ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते समय, न्यायालय को न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि परीक्षण के लिए मामला बनाया गया है, बल्कि निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य*

कारक भी मौजूद हैं। डॉ. राजीव धवन द्वारा उठाए जाने वाले तर्क के अनुसार एक बहस हो सकती है कि अमेरिकन साइनामाइड कंपनी बनाम एथिकॉन लिमिटेड ((1975) 1 ऑल ईआर 504: 1975 एसी 396: (1975) 2 डब्ल्यूएलआर 316 (एचएल)) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय इस प्रकृति के मामले में लागू नहीं होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड [(1999) 7 एससीसी 1) और एस.एम. डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड ((2000) 5 एससीसी 573] में कहा था, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं।

20. *हम केवल यह नोटिस कर सकते हैं कि इस न्यायालय के निर्णय कोलगेट पामोलिव (1999) 7 एससीसी 1] और एस.एम. डाइकेम लिमिटेड ((2000) 5 एससीसी 573) बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित हैं। हालाँकि, इस प्रश्न पर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ ए.पी. लिमिटेड बनाम लैंको कोंडापल्ली पावर (पी) लिमिटेड [(2006) 1 एससीसी 540] में इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा विचार किया गया है, जिसमें कहा गया है: (एससीसी पृष्ठ 552-53, पैरा 36-40)*

**36. इसलिए, प्रतिवादी ने विचारणीय मुद्दे उठाए हैं। विचारणीय मुद्दे क्या होंगे, इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अमेरिकन साइनामाइड कंपनी बनाम एथिकॉन लिमिटेड ((1975) 1 ऑल ईआर 504: 1975 एसी 396: (1975) 2 डब्ल्यूएलआर 316 (एचएल)] में अपने प्रसिद्ध निर्णय में संक्षेप में चर्चा की है, जिसमें कहा गया है: (ऑल ईआर पी. 510सी-डी)*

"मेरे विचार से माननीय सदस्यों को यह घोषित करने का अवसर लेना चाहिए कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में "संभावना", "प्रथम दृष्टया मामला", या "प्रथम दृष्टया मजबूत मामला" जैसे शब्दों का उपयोग अस्थायी राहत के इस रूप द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। निस्संदेह न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि दावा तुच्छ या परेशान करने वाला नहीं है; दूसरे शब्दों में, यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।"

आगे यह भी कहा गया: (सभी ईआर पृष्ठ 511बी-सी और 511जे)

"जहां अन्य कारक समान रूप से संतुलित प्रतीत होते हैं, वहां यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय करना समझदारी की बात है। यदि प्रतिवादी को कुछ ऐसा करने से अस्थायी रूप से रोका जाता है जो उसने पहले नहीं किया है, तो मुकदमे में उसके सफल होने की स्थिति में अंतरिम निषेधाज्ञा का एकमात्र प्रभाव उस तिथि को स्थगित करना है जिस पर वह कार्रवाई का ऐसा तरीका अपनाने में सक्षम है जिसे उसने पहले शुरू करना आवश्यक नहीं समझा; जबकि किसी स्थापित उद्यम के संचालन में उसे बाधा डालने से उसे बहुत अधिक असुविधा होगी क्योंकि मुकदमे में उसके सफल होने की स्थिति में उसे इसे फिर से स्थापित करना होगा ।

उन्होंने जिन कारकों को ध्यान में रखा, और मेरे विचार में उचित रूप से, वे थे कि एथिकॉन के टांके XLG अभी बाजार में नहीं थे; इसलिए ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था जिसे निषेधाज्ञा द्वारा रोका जा सके; कोई भी कारखाना बंद नहीं होगा और कोई भी कर्मचारी काम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने शोषक सर्जिकल टांकों के लिए यूनाइटेड किंगडम के बाजार में एक प्रमुख स्थान रखा और एक आक्रामक बिक्री नीति अपनाई।

37. हालाँकि, हम इंग्लैंड और इस क्षेत्राधिकार दोनों में कानून के बाद के विकास से अनभिज्ञ नहीं हैं। सीरीज 5 सॉफ्टवेयर बनाम क्लार्क (1996) 1 ऑल ईआर 853 (च डी) में चांसरी डिवीजन ने राय दी: (ऑल ईआर पी. 864सी-ई)

'अमेरिकन साइनामाइड ((1975) 1 ऑल ईआर 504: 1975 एसी 396: (1975) 2 डब्लूएलआर 316 (एचएल)) के समक्ष कई मामलों में सुविधा के संतुलन का आकलन करने में सफलता की संभावना को ध्यान में रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। न्यायालय वादी को उस अपूरणीय हानि के जोखिम के अधीन करने के लिए कम इच्छुक होंगे जो उसे तब होगी जब उन मामलों में अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया जाएगा जहां उन्हें लगता है कि वह मुकदमे में जीतने की संभावना है, उन मामलों की तुलना में जहां उन्हें लगता है कि वह हारने की संभावना है। इसलिए सफलता की संभावनाओं का आकलन यह तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक था कि क्या अदालत को अंतरिम राहत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यह वह विचार है जिसे अमेरिकन साइनामाइड ((1975) 1 ऑल ईआर 504: 1975 एसी 396: (1975) 2

डब्लूएलआर 316 (एचएल)) ने सबसे अपवादात्मक मामले को छोड़कर सभी में प्रतिबंधित किया है। इसलिए इस मुद्दे पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो कुछ कहा गया, उस पर सावधानी से विचार करना आवश्यक है ।"

38. कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ((1999) 7 एससीसी 1) में इस न्यायालय ने देखा कि सीरीज 5 सॉफ्टवेयर ((1996) 1 ऑल ईआर 853 (च डी) में लैंडी, जे. अमेरिकन साइनामाइड ((1975) 1 ऑल ईआर 504 : 1975 एसी 396 : (1975) 2 डब्ल्यूएलआर 316 (एचएल)] में फैसले के वास्तविक परिप्रेक्ष्य से किसी भी तरह के विचलन के बिना मुद्दे को हल करने में सक्षम थे। हालांकि, उस मामले में, यह न्यायालय एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के तहत एक मामले पर विचार कर रहा था।

39. एस.एम. डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड ((2000) 5 एससीसी 573) में, व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत उत्पन्न एक मामले में, जस्टिस जगन्नाथ राव ने उसी सिद्धांत को दोहराया था जिसमें कहा गया था कि पार्टियों

की तुलनात्मक ताकत और कमजोरियां भी ट्रेडमार्क मामलों में निषेधाज्ञा देने के उद्देश्य से विचार का विषय हो सकती हैं, जिसमें कहा गया है: (एससीसी पृष्ठ 591, पैरा 21)

21. इसलिए, ट्रेडमार्क मामलों में, अब "सुविधा के संतुलन के अलावा, किसी भी पक्ष के मामलों की तुलनीय ताकत" के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। बिंदु 4 का निर्णय तदनुसार किया जाता है ।

40. उक्त निर्णय कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड [(2001) 5 एससीसी 73] में ट्रेडमार्क के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में फिर से देखे गए ।

26. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि अंतरिम रोक लगाते समय तीन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, अर्थात, संबंधित वादी को प्रथम दृष्टया मामला बनाना होगा, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति ।

27. प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ यह है कि वादी को यह तथ्य स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाना होगा कि उसके पास गुण-दोष के आधार पर मामला है। लेकिन यहां हमारा मानना है कि चूंकि मामला स्थानांतरण का है,

जिसमें नीतिगत निर्णय का पालन न करने का आधार लिया गया है। आवश्यकता इस मुद्दे पर निर्णय लेने की होगी कि क्या उक्त नीतिगत निर्णय को वैधानिक बल के रूप में समझा जा सकता है या नहीं। स्थानांतरण सेवा की घटना है यदि वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो या स्थानांतरण का आदेश किसी अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, आदि तो इसमें निश्चित रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

28. हमने दलील से पाया है कि ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है, बल्कि नीतिगत निर्णय का पालन न करने का आधार लिया गया है, विशेष रूप से रिट याचिकाकर्ता को पहली रिट याचिका में नौ साल की विस्तारित अवधि के लिए रहने की अनुमति दी गई है, जबकि अन्य रिट याचिकाकर्ताओं में पति या पत्नी के एक ही स्थान पर काम करने का आधार लिया गया है ।

29. इसलिए, इस न्यायालय का यह मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर यदि इस स्तर पर स्थानांतरण के आदेश को स्थगित रखा जाएगा, क्योंकि मूल आवेदनों में यही मुख्य प्रार्थना है, तो संपूर्ण मूल आवेदन को इस स्तर पर स्वीकार किया जाएगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में संदीप कुमार बाल्मीकि और अन्य के खिलाफ (2009) 17 एससीसी 555** में आयोजित किया है, जिसमें

पैराग्राफ 5 में यह माना गया है जिसे नीचे उद्धृत और संदर्भित किया जा रहा है:-

> "5. हमारे विचार में, समाप्ति के आदेश पर रोक लगाने वाला उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश इस स्तर पर पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि इस स्तर पर ऐसी राहत प्रदान की जाती है, तो रिट याचिका स्वतः ही स्वीकृत हो जाएगी, तथा रिट याचिका की अंतिम सुनवाई के समय पक्षकारों को अपने-अपने मामले रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

30. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के पास इस स्तर पर स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है ।

31. जहाँ तक सुविधा के संतुलन का सवाल है, उक्त शब्द का अर्थ है कि सुविधा के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि किसे नुकसान होगा। निश्चित रूप से, स्थानांतरण सेवा का परिणाम है और इसलिए इसका विशेषाधिकार नियोक्ता के पास है जो प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार एक या दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करता है। सुविधा के संतुलन को अपूरणीय क्षति या अपरिवर्तनीय कहे जाने वाले नुकसान के सिद्धांत के साथ तय किया जाना चाहिए। अपरिवर्तनीय नुकसान वह

नुकसान कहा जाएगा जिसे अपरिवर्तनीय के अर्थ के अनुसार बहाल नहीं किया जा सकता है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बेस्ट सेलर्स रिटेल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड, (2012) 6 एससीसी 792 के मामले में तय किया है: जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया है:**

> *"**29.** फिर भी, विधि का स्थापित सिद्धांत यह है कि जहां प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, वहां भी न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इंकार कर देगा, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इंकार करने के कारण वादी को हुई क्षति अपूरणीय न हो ।*
>
> ***30.** दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह [(1992) 1 एससीसी 719] में इस न्यायालय ने माना: (एससीसी पृष्ठ 721, पैरा 5)*
>
> **5.... केवल यह संतुष्टि कि प्रथम दृष्टया मामला है, निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को यह भी संतुष्ट होना होगा कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने से राहत चाहने वाले पक्ष को 'अपूरणीय क्षति' होगी और पक्ष के पास निषेधाज्ञा देने के अलावा कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है तथा उसे संभावित क्षति या बेदखली के परिणामों से सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, अपूरणीय क्षति का अर्थ यह नहीं है कि कोई शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। चोट*

की मरम्मत की संभावना नहीं है, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि चोट भौतिक होनी चाहिए, अर्थात् ऐसी होनी चाहिए जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके।"

अटॉर्नी जनरल बनाम हैलेट ((1857) 16 एम एंड डब्ल्यू569: 153 ईआर 1316) में एल्डरसन, बी. के शब्दों को उद्धृत करें: (ईआर पृष्ठ 1321)

**... मैं अपूरणीय क्षति का अर्थ वह मानता हूँ, जिसे यदि निषेधाज्ञा द्वारा नहीं रोका जा सके, तो बाद में किसी ऐसे आदेश द्वारा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जिसे न्यायालय कारण के परिणामस्वरूप सुना सकता है।"*

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अजय मोहन एवं अन्य बनाम एच.एन. राय एवं अन्य [(2008) 2 एससीसी 507]** के मामले में पैराग्राफ 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

*"**21.** अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रार्थना करते समय वादीगण प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए बाध्य थे। वे यह दिखाने के लिए भी बाध्य थे कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष*

में है और जब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती, उन्हें अपूरणीय क्षति होगी ।"

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जेनिट मैटाप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य ((2009) 10 एससीसी 388)** के मामले में पैराग्राफ 30, 31 और 37 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

*"**30.** अंतरिम आदेश प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर पारित किया जाता है, जो कि अस्थायी हैं। इस तरह के आदेश को मामले के अंतिम रूप से तय होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पारित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामला अंतिम सुनवाई से पहले निष्फल या तथ्यपूर्ण न हो जाए। अंतरिम निषेधाज्ञा का उद्देश्य वादी को उसके अधिकार के उल्लंघन से होने वाली क्षति से बचाना है, जिसके लिए उसे कार्रवाई में वसूली योग्य क्षतिपूर्ति में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, अगर परीक्षण में अनिश्चितता उसके पक्ष में हल हो जाती (देखें आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद ((2001) 5 एससीसी 568] और असम राज्य बनाम बराक उपात्यका

डी.यू. कर्मचारी संस्था (2009) 5 एससीसी 694: (2009) 2 एससीसी (एल एंड एस) 109]) ।

***31.** अंतरिम राहत की प्रकृति और सीमा के संबंध में अनुदान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें प्रतिवादी-प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, अंतरिम राहत दी जानी चाहिए (देखें एम. गुरुदास बनाम रसरंजन (2006) 8 एस.सी.सी. 367 ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 3275 और श्रीदेवी बनाम मुरलीधर [(2007) 14 एस.सी.सी. 721]) अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला; सुविधा का संतुलन; और अपूरणीय क्षति, जिन पर किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना आवश्यक है। लेकिन किसी भी अदालत के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के चरण में मिनी-ट्रायल आयोजित करना उचित नहीं हो सकता है [देखें एस.एम. डाइकेम लिमिटेड*

बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड ((2000) 5 एस.सी.सी. 573 ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 2114] और आनंद प्रसाद अग्रवाल (2001) 5 एस.सी.सी. 568), एस.सी.सी. पी. 570, पैरा 61.

***37.** इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून इस प्रकार उभर कर आता है कि मामले के सभी पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के बाद न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए, जिसमें शामिल तथ्यों के एक निश्चित समूह में पक्ष के जोखिम और जिम्मेदारी पर विचार किया जाना चाहिए या यदि वह केस हार जाता है, तो वह इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता है। आदेश तीन बुनियादी आधारों को ध्यान में रखते हुए स्थापित सिद्धांतों पर पारित किया जा सकता है: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति ।"*

34. हम, अपूरणीय या अपरिवर्तनीय क्षति शब्द की जांच करने और वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, इस दृष्टिकोण पर हैं कि यदि याचिकाकर्ता स्थानांतरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हैं और यदि विद्वान न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि स्थानांतरण का आदेश अपने आप में अवैध है या स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त है और इसके परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया जाएगा और अलग रखा जाएगा, तो इसका परिणाम यह होगा कि पहले

की स्थिति बनी रहेगी जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है, उन्हें बहाल किया जाएगा। इस प्रकार, मामले के उस दृष्टिकोण से हमारा यह भी मानना है कि उक्त नुकसान को अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है, जिसे बहाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिस क्षण आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और यथास्थिति को अलग रखा जाएगा, वह प्रभावी हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि सभी याचिकाकर्ता उस स्थान पर अपना कर्तव्य निभाने की स्थिति में होंगे, जहां वे स्थानांतरण के आदेश से पहले थे। इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि स्थानांतरण के मामले में सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि अंतरिम रोक न देना अपूरणीय नहीं कहा जा सकता है ।

35. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अंतरिम स्थगन प्रदान करने के लिए तीन शर्तों की उपलब्धता का मामला नहीं बना सके ।

36. यह न्यायालय **एल. चंद्र कुमार (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानून पर विचार कर रहा है, जिसमें अनुच्छेद 226 या न्यायिक समीक्षा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर विचार किया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड के

आधार पर त्रुटिपूर्ण हो। लेकिन उपर्युक्त तर्क के आधार पर हमारा मानना है कि रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि नहीं बताई गई है और यहां तक कि अंतरिम रोक लगाने का सिद्धांत भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय इस मामले में विचार कर रहा है। यह विचार है कि उक्त आदेशों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

37. तदनुसार, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं ।

38. चूंकि मामला हस्तांतरण का है और इस पर शीघ्र विचार की आवश्यकता है, इसलिए विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी-ईएसआईसी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा है, जो प्रतिवादी-ईएसआईसी के विद्वान वकील श्री आशुतोष आनंद द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तिथि को या उससे पहले अग्रिम रूप से दाखिल किया जाना चाहिए। प्रतिवादी-ईएसआईसी के विद्वान वकील द्वारा आगे यह वचन दिया गया है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए उस तिथि पर कोई स्थगन नहीं लिया जाएगा ।

39. यह न्यायालय उपर्युक्त तथ्य पर विचार करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण से अनुरोध करता है कि वह इस मुद्दे पर उसी तिथि को निर्णय दे, अधिमानतः इसकी योग्यता के आधार पर ।

40. तदनुसार, रिट याचिकाएं निपटा दी गई हैं ।

(श्री सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव न्यायमूर्ति)

अलंकार/

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|